



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04042020-219007
CG-DL-W-04042020-219007

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 29—अप्रैल 4, 2020, शनिवार/चैत्र 9—चैत्र 15, 1942
No. 13] NEW DELHI, MARCH 29—APRIL 4, 2020, SATURDAY/CHAITRA 9—CHAITRA 15, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2020

का.आ. 376.—केंद्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 3 की उप-धारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री पी. राघवेन्द्र राव, सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग को 19.03.2020 से 31.05.2020 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. जी-38011/41/2016-वित्त-I]

पेरिन देवी, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 23rd March, 2020

S.O. 376.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section 3(a) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. Raghavendra Rao, Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals as a member of the Oil Industry Development Board w.e.f. 19.03.2020 to 31.05.2020 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. G-38011/41/2016-Fin.-I]

PERIN DEVI, Director